बिहार सरकार
विधि विभाग

बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक 2011

सत्यमेव जयते

2011

बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक 2011

विषय सूची ।

खंड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

2. 2011-12 वर्ष के लिये बिहार राज्य की संचित निधि में से 61,52,00,45,000 (एकसठ अरब बाबन करोड़ पैतालीस हजार) रूपये मात्र की निकासी ।

3. विनियोग ।

अनुसूची ।

बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2011

बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों की निकासी 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त विधेयक ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।- (1) यह अधिनियम बिहार विनियोग(संख्या-4) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह 01 अप्रील 2011 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. 2011-12 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 61,52,00,45,000 (एकसठ अरब बाबन करोड़ पैतालीस हजार) रूपये की निकासी ।- बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 01 अप्रील 2011 को शुरू होने वाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिए कुल 61,52,00,45,000 (एकसठ अरब बाबन करोड़ पैतालीस हजार) रूपये जो अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लेखित राशियों से अधिक न होगें, निकाले जा सकेंगे ।

3. विनियोग ।- इस अधिनियम के द्वारा बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियां 01 अप्रील 2011 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी ।

अनुसूची

(धाराएं 2 ओर 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
01	कृषि विभाग	राजस्व	69,06,92,000		69,06,92,000
		पूंजी			
02	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	54,17,38,000		54,17,38,000
		पूंजी			
03	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	60,47,000		60,47,000
		पूंजी	1,05,20,10,000		1,05,20,10,000
04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	3,82,98,000		3,82,98,000
		पूंजी	12,50,00,000		12,50,00,000
05	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व		14,00,000	14,00,000
		पूंजी			
06	निर्वाचन विभाग	राजस्व	69,60,000		69,60,000
		पूंजी			
07	निगरानी विभाग	राजस्व	4,00,000		4,00,000
		पूंजी			
08	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	3,03,00,000		3,03,00,000
		पूंजी			
09	सहकारिता विभाग	राजस्व	4,07,40,02,000		4,07,40,02,000
		पूंजी	69,37,00,000		69,37,00,000
10	उर्जा विभाग	राजस्व	12,41,34,95,000		12,41,34,95,000
		पूंजी			
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	1,22,00,00,000		1,22,00,00,000
		पूंजी	2,00,00,000		2,00,00,000
12	वित्त विभाग	राजस्व	8,35,00,000		8,35,00,000
		पूंजी	6,59,83,00,000		6,59,83,00,000
13	सूद भुगतान	राजस्व		25,12,000	25,12,000
		पूंजी			
14	ऋण अदायगियाँ	राजस्व			
		पूंजी		16,64,54,000	16,64,54,000
15	पेंशन	राजस्व	12,00,000		12,00,000
		पूंजी			
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	3,16,72,96,000		3,16,72,96,000
		पूंजी			
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	96,97,50,000		96,97,50,000
		पूंजी			
19	पर्यावरण एवं वन विभाग	राजस्व	42,38,000		42,38,000
		पूंजी			
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	1,25,50,57,000		1,25,50,57,000
		पूंजी			
21	मानव संसाधन विकास विभाग	राजस्व	6,62,70,45,000		6,62,70,45,000
		पूंजी			

अनुसूची

(धाराएं 2 ओर 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
22	गृह विभाग	राजस्व	12,21,37,000		12,21,37,000
		पूंजी	19,75,00,000		19,75,00,000
23	उद्योग विभाग	राजस्व	4,00,000		4,00,000
		पूंजी			
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व	1,66,00,000		1,66,00,000
		पूंजी			
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	21,26,96,000		21,26,96,000
		पूंजी			
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	4,84,14,000		4,84,14,000
		पूंजी			
27	विधि विभाग	राजस्व	14,94,72,000		14,94,72,000
		पूंजी			
28	उच्च न्यायालय	राजस्व		3,53,89,000	3,53,89,000
		पूंजी			
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	19,88,000		19,88,000
		पूंजी			
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	15,58,000		15,58,000
		पूंजी			
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	13,39,000		13,39,000
		पूंजी			
32	विधान मंडल	राजस्व	4,97,52,000	2,00,000	4,99,52,000
		पूंजी			
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	4,95,25,000		4,95,25,000
		पूंजी			
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व		63,21,000	63,21,000
		पूंजी			
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	58,56,000		58,56,000
		पूंजी	3,12,00,000		3,12,00,000
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	1,83,20,61,000		1,83,20,61,000
		पूंजी	12,000		12,000
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व			
		पूंजी	1,00,00,00,000		1,00,00,00,000
38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	राजस्व	7,42,61,000		7,42,61,000
		पूंजी			
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	37,32,01,000		37,32,01,000
		पूंजी			
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	29,73,17,000		29,73,17,000
		पूंजी			
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	3,09,90,000		3,09,90,000
		पूंजी	2,20,00,00,000		2,20,00,00,000
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व			
		पूंजी			

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	21,27,90,000		21,27,90,000
		पूंजी			
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	2,89,78,03,000		2,89,78,03,000
		पूंजी			
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	1,41,26,000		1,41,26,000
		पूंजी			
47	परिवहन विभाग	राजस्व	18,61,000		18,61,000
		पूंजी			
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	90,87,27,000		90,87,27,000
		पूंजी			
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	3,10,31,50,000		3,10,31,50,000
		पूंजी	3,43,51,00,000		3,43,51,00,000
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व			
		पूंजी	16,00,00,000		16,00,00,000
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	4,25,89,05,000		4,25,89,05,000
		पूंजी			
योग राजस्व			**45,79,49,47,000**	**4,58,22,000**	**45,84,07,69,000**
योग पूंजी			**15,51,28,22,000**	**16,64,54,000**	**15,67,92,76,000**
महायोग			**61,30,77,69,000**	**21,22,76,000**	**61,52,00,45,000**

<u>उद्देश्य एवं हेतु</u>

राज्य की संचित-निधि से कोई राशि भारतीय-संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं ।

बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2011 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2011 के द्वारा प्राधिकृत राशि चालू वित्तीय वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पायी गयी है तथा वार्षिक वित्त विवरण में अनुपूरक और अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता भी उत्पन्न हो गई है । इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि 31 मार्च 2012 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान में आनेवाले भारों के पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि से 61,52,00,45,000 (एकसठ अरब बाबन करोड़ पैतालीस हजार) रूपये अतिरिक्त राशि का शोधन और विनियोग इस विधेयक द्वारा प्राधिकृत कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ठ है ।

(सुशील कुमार मोदी)
भार-साधक, सदस्य ।